"मजबूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी"

जिला निर्वाचन कार्यालय(प्रथम तल मार्केट कमेटी भवन) ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

संख्याः ई0एल0एन0-ऊना-5-2/2017- दिनांकः21/02/2019

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला ऊना के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर दिनांक 23-02-2019(शनिवार) व 24-02-2019(रविवार) को सभी छूटे हुये पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के अंतर्गत जो मतदाता फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2019 के दौरान मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करने से किसी कारणवश छूट गए थे अथवा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है ,वे अपना नाम सम्बन्धित मतदान केंद्र में जाकर दर्ज करवा सकते हैं ताकि कोई भी मतदाता आगामी लोक सभा निर्वाचन-2019 में अपने मताधिकार से वंचित न रह सके। इस विशेष कैंप में कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करने के साथ मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु समुचित प्ररूप(फार्म) भरकर दावे/आक्षेप सम्बंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में पढ़ पाने में असमर्थ हैं उनके नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा सबके समक्ष पढ़कर सुनाये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र होना ही किसी व्यक्ति को मताधिकार की गारंटी नहीं देता बल्कि नागरिक का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना भी अनिवार्य है। अतः सभी छूटे हुये पात्र मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाना सुनिश्चित कर लें।

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

पृष्ठांकन सं0 ई.एल.एन.-ऊना 5-2/2017- दिनांकः21/02/2019

प्रतिलिपि प्रेषित हैः-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0, शिमला-09 को सूचनार्थ।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.)/ (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) जिला ऊना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी बूथ लेवल अधिकारियों को दिनांक 23 व 24-02-2019 को अपने मतदान केंद्र में फोटोयुक्त मतदाता सूची व फार्म-6, 7, 8 व 8A सहित मतदाताओं की सुविधा हेतु उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
3. समस्त प्रधान, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, जिला ऊना के सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि वे जिला ऊना के सभी मतदान केन्द्रों में नियुक्त अपने राजनैतिक दल के बूथ लेवेल एजेन्टों को दिनांक 23 व 24-02-2019 को अपने-2 मतदान केंद्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करें।
4. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, ऊना को अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन हेतु।
5. समस्त बूथ लेवल अधिकारी जिला ऊना को सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उपनिदेशक उच्च/माध्यमिक शिक्षा/समस्त खंड विकास अधिकारी/जिला पंचायत अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी/कार्यकारीअधिकारी,नगरपरिषद,ऊना,संतोषगढ़/सचिव,नगरपंचायत,दौलतपुर/गगरेट/मेहतपुर/टाहलीवाल के सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यालयों में स्थापित मतदान केन्द्रों को दिनांक 23 व 24-02-2019 को खुला रखने बारे कार्यालय प्रभारी को निर्देशित करें।
7. सूचना पटट, जिला निर्वाचन कार्यालय /उपायुक्त कार्यालय ऊना।

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।